राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1392/2016/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स केविन भाई पुत्र वीरदास भाई झालानी,
फर्म गिरीराज सोप फैक्ट्री,
उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 389/अपील्स–I/आरवैट/जयपुर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 59,224/– व 76(12) के तहत् शास्ति राशि रूपये 9,870/– कुल मांग राशि रूपये 69,094/– को अपास्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.10.2013 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आर.जे.–27–जी.–2282 को पडूना टोल नाके के पास रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में अधिसूचित माल काला साबुन राजकोट (गुजराज) से बूंदी परिवहनित किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं वैट–47 प्रस्तुत किया। परिवहनित माल के साथ संलग्न वैट–47 संख्या 2164034 अपूर्ण भरा था, जिसे सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) व (12) के तहत् कुल शास्ति राशि रूपये 69,094/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी

लगातार.....2

व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की दृष्टि से अपूर्ण वैट–47 संलग्न कर माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी संलग्न थे, परन्तु जो घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न था, उसमें भूलवश माल की कीमत का अंकन करना रह गया था। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2014) वॉल्यूम 21 वैट रिपोर्टर पेज 191 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड** में वक्त चैकिंग प्रस्तुत वैट–47 में माल की कीमत का अंकन नहीं होना तकनीकी भूल की श्रेणी में माना, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा यह कही भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम धारा 76(6) के प्रावधानों का उल्लंघन कर करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.11.2015 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य